


14/11/2021

पी. व. व. 2
जुलै 2021
गण
१५.

आज यह प्रशासकीय प्रश्नों के प्राथमिक प्रश्न पर पेची में ली गई। वादी एवं वकील वादी ने प्राथमिक प्रश्न पेच कर निवेदन किया की वादी अपना दावा लोक अदालत की भावना से WITHDRAW करना चाहता है। उक्त दावा को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी का विद्रोह करने की अनुमति प्रदान करे।

वकील प्रश्नों का जुरा। प्रश्नों का प्राथमिक प्रश्न स्वीकार किया जाकर वाद जरिये विद्रोहल शरिज किया जाता है प्रकलन नंबर  कम होकर। दामिब 4 बर के

निर्णय आज दिनेक 14/11/21 का हुआ गया।

जुलै 2021
कानि 2
कानि 2